न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– चम्पालाल जीनगर, RAS

प्रकरण सं. 36/2015 वाद

1– श्रीमती बदाम बाई पत्नी शोभालाल जाट, आयु 60 साल, निवासी साकरिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
2– सुरेश पिता शोभालाल जाट, आयु 23 साल, निवासी साकरिया।
3– शोभालाल पिता किशनलाल जाट, आयु 62 साल, निवासी साकरिया, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादीगण

//बनाम//

1– राजेश पिता बसन्तीलाल जैन, आयु 40 साल, निवासी एसडीओ कोर्ट के पीछे, निम्बाहेड़ा।
2– मोहनलाल पिता किशनलाल जाट, आयु 58 साल, निवासी साकरिया।
3– मगनी बाई बेवा किशनलाल जाट, आयु 80 साल, निवासी साकरिया।
4– राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा
बंटवारा आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु
श्री अनुराग ओझा, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, उपस्थित

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात वाके ग्राम साकरिया की खाता संख्या 168 की आराजी नं. 141 रकबा 2.2100 हैक्टेयर तथा आराजी नं. 144 रकबा 1.4500 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.6600 हेक्टेयर भूमि स्थित है। इसमें वादीगण का 1/3 तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का संयुक्त रूप से 2/3 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार खाता संख्या 177 की आराजी नं. 139, 143, 611 कुल किता 3 कुल रकबा 0.6600 हैक्टेयर भूमि स्थित है। इसमें वादी नं. 3 का 1/3 तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का प्रत्येक का 1/3, 1/3 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी की होकर कोई विधिवत बंटवारा पक्षकारान के मध्य नहीं हुआ हे इसलिए रकबे की कमी बेशी व लगान को लेकर अक्सर विवाद की स्थिति बन जाती है। प्रतिवादी संख्या 1 बीमा एजेन्ट है तथा बीमा कराने के बहाने वादी संख्या 3 को निम्बाहेडा लाया तथा बीमा कराने की कह कर स्टाम्प खरीदे और उन पर हस्ताक्षर निशानी ली तथा झांसे से जमीन का नाम लिखवा लिया। अब धमकीयां दे रहा है कि जमीन पर कब्जा करके रहुंगा, 20 लाख रूपये दे आदि आदि। दिनांक 27.03.2015 को मौके पर गुण्डों

को लेकर आया और वादी की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवादित भूमि का बंटवारा हिस्से अनुसार किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 मय अधिवक्ता उपस्थित हुआ तथा जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया। जवाबदावे में प्रतिवादी ने अंकित किया की आराजी नं. 141 जिसके साबिक आराजी नं. 57 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा तथा आराजी नं. 144 के साबिक आराजी नं. 60 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा और आराजी नं. 139 के साबिक आराजी नं. 55 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, आराजी नं. 143 के साबिक आराजी नं. 59 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा है। आराजी नं. 57 और 60 में शोभालाल का 1/9 हिस्सा तथा आराजी नं. 55 व 59, आराजी नं. 399 जिसका नया नम्बर 611 है में शोभालाल का 1/33 वां हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.04.2011 को प्रतिवादी राजेश के पक्ष में विधिवत विक्रय पत्र निष्पादित कर पंजीयन करा दिया। तभी से यह खरीदशुदा हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे में चला आ रहा है। इस भूमि का बाहमी तौर पर बंटवारा कर रखा है तथा मेड़ पालियां डाल रखी है। वादी संख्या 3 की भूमि जिसके पूर्व में वादी संख्या 3 का निर्मित मकान वाली भूमि, पश्चिम में बडोली माधोसिंह जाने का रास्ता और प्रतिवादी संख्या 1 की आराजीयात और बीच में चरनोट भूमि है, उत्तर में इसी जमीन का शेष भाग तथा दक्षिण में रास्ता है। इन चारों पडोस के मध्य की भूमि को वादी संख्या 3 ने प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय कर दी है। शेष सभी तथ्य गलत प्रस्तुत किये हैं। शोभाला ने सम्पूर्ण विक्रय प्रतिफल प्राप्त कर पुरे स्टाम्प खरीदकर विक्रय पत्र निष्पादित कराया है तथा गवाहान के सामने अपने हस्ताक्षर किये हैं।

काउण्टर क्लेम में प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त खरीदशुदा भूमि अपने नाम खातेदारी की घोषित कराने तथा वादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता चाही है।

दिनांक 29.01.2018 को तारीख पेशी पर वादीगण मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 एकतरफा सुनी गई।

यह आज तारीख 23.01.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(चम्पालाल जीनगर)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official